

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम झारखण्ड विधान सभा
संखा-06

पंचम (बजट) सत्र

शुक्रवार, दिनांक-05, मार्च, 2021 ई।

समय-11.00 बजे पूर्वाहिन से 05.20 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करने के उपर्युक्त माननीय सदस्य, श्री विरंचि नारायण ने आसन का छ्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया कि विधान सभा परिसर में यज्ञ-तत्र मधुमक्खियों का छुटा होने के कारण पत्रकार सहित कई व्यक्तियों को मधुमक्खियों ने हँक मार दिया है, अतएव वन विधान के अधिकारियों को मधुमक्खियों को भगाने हेतु निरेश देने की कृपा की जाय जिसे संज्ञान में लिया गया।

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य अपने द्वारा दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मौग को लेकर झारखण्ड विधान सभा की नियमावली की प्रति मुख्य सचेतक, प्रतिपक्ष को उपलब्ध कराया गया तथा आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि शून्यकाल के उपर्युक्त तथा ध्यानाकर्षण लिये जाने के पूर्व ही कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाये सी जा सकेगी।

1. आसन से नियमन:-

कार्यवाही प्रारम्भ होते ही भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मौग को लेकर झारखण्ड विधान सभा की नियमावली की प्रति मुख्य सचेतक, प्रतिपक्ष को उपलब्ध कराया गया तथा आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि शून्यकाल के उपर्युक्त तथा ध्यानाकर्षण लिये जाने के पूर्व ही कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाये सी जा सकेगी।

2. प्रश्नकाल:-

आज के लिए नियोगित प्रश्नों का अवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-12

(क) उत्तरित कुल-02, अ० स०-104, श्री कुमार जयमंगल, स० वि० स०,

अ० स०-106, प्र० स्टीफन मराण्डी, स० वि० स०।

(ख) अपृष्ठ कुल-02, अ० स०-103, श्री मनोज जयसवाल, स० वि० स०,

अ० स०-105, श्री गीलकप्त सिंह मुण्डा, स० वि० स०।

(ग) अनागत कुल-08 अ० स०-107 से लेकर अ० स०-114 तक।

इस त्रैम में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य अपनी मौगों को लेकर सदन की बैठ में भारी शोरगुल करते रहे जिससे अव्यवस्था का माहौल कायम हो गया जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.25 बजे पूर्वो से लेकर 12.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन घ्रहण किया।)

3.आसन से सूचना:-

आज शुक्रवार होने के कारण आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि जो माननीय सदस्य जुम्मा अद्य करना चाहते हैं, वे जा सकते हैं।

इस क्रम में माननीय सदस्य, डॉ. इरफान अंसारी ने आसन से आग्रह किया कि जुम्मे के दिन 12.00 बजे मध्याह्न से 02.00 बजे अपराह्न तक कार्यवाही स्थगित की जाय।

4.शून्यकाल:-

आज के लिए स्वीकृत सभी शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए सम्बन्धित विभागों में लिखित उत्तर हेतु भेजे जाने के नियम आसन से घोषणा की गयी।

5.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

माननीय सदस्य, श्री भानु प्रताप शाही से राज्य में बड़े रही उग्रवादी, अपहरण एवं बलात्कार घटनाओं, माननीय सदस्य, श्री पर्णीष जयसवाल तथा श्री अमित कुमार मण्डल द्वारा गोदडा निवासी एवं हजारीबाग बेहिकल की छात्रा पूजा भारती की हुई मृत्यु को जैव सी.ओ.आई. से कराये जाने, माननीय सदस्य, और अनन्त कुमार ओझा से राज्य में धू-माफियाओं एवं अंचलाधिकारियों सहित डल्लाधिकारियों की मिलीभगत से जमीनों वाले हो रही अवैध जमांबंदी एवं माननीय सदस्य, श्री विरेंद्री नारायण द्वारा राज्य में चिंगड़ती विधि-व्यवस्था तथा बदली हुई उग्रवादी घटनाओं पर चर्चा कराये जाने सम्बन्धी दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को आसन द्वारा पढ़ा गया और सदन को अवगत कराया गया कि- चौंक द्वितीय पालियो में वाद-विवाद के क्रम में इन विषयों पर चर्चाये सम्भव हैं, अतएव नियमानुकूल नहीं होने के कारण प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव को सूचनाओं को अपान्न किया गया।

6.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएँ:-

माननीय सदस्य, श्री बंधु लिकी द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसे अगले दिन के लिए स्थगित किया गया;

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी तथा माननीय सदस्य विभिन्न मौगों को लेकर सदन की बैठ में आ गये और नारेबाजी करने लगे।)

7.कार्यमंत्रणा समिति के निर्णय:-

दिनांक-04 मार्च, 2021 को कार्यमंत्रणा समिति द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आसन द्वारा सदन को अवगत कराया गया-

- i- सोमवार, दिनांक-22 मार्च, 2021 को दूसरी पाली में राजकोय विधेयकों के पुरास्थापन एवं विधायन के उपरांत कृषि बिल एवं महेंगाई पर विशेष वाद-विवाद हो, लिये जायें,
- ii- शोष कार्य व्यथाकृत होंगे।

समिति को उक्त मिफारिश पर सभा की सहमति हुई।

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करने के उपरांत माननीय सदस्य, श्री विरेंद्री नारायण द्वारा स्टाम्प से सम्बन्धित मामला, श्री अमर कुमार बाड़ी द्वारा फर्जी जन सुनवाई को निरस्त करने

